Commonwealth Human Rights Initiative

Jail Mail

Prison Reform Updates

अक्टूबर 31, 2015

प्रिय साथियों

सी.एच.आर.आई. की ओर से अभिनंदन!

सी.एच.आर.आई. एकांत कारावास के अंत की अंतर्राष्ट्रीय मांग का समर्थन करता है। इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए *बी दी एविडेन्स इन्टरनेशनल* एवं अन्य संस्थाओं के साथ जुड़ें।

1. एकांत कारावास क्या है?

एकांत कारावास का अर्थ है कैदियों को एक दिन में 22 घंटे किसी भी तरह के अर्थपूर्ण मानवीय संपर्क के वंचित रखना (कैदियों के साथ बर्ताव के लिए राष्ट्र संघ के न्यूनतम मानक नियम – जिसे 'मण्डेला नियम' भी कहा जाता है – के अनुसार)। भारत में एकांत कारावास अदालत या कारावास विभाग के अधिकारी दे सकते हैं। दोनो स्थितियों में से यह सजा अधिकतम 3 महीने के लिए ही दी जा सकती है। न्यायिक एकांत कारावास के मामले में यह है कि कानूनी तौर पर इसकी समय सीमा तथा आवृति है। लेकिन काराग्रह विभागीय स्तर में यह सजा कैदियों को प्राप्त न्यूनतम सुरक्षा के बिना, जेल अधिक्षक पर, पूरी तरह से निर्भर है। जेल अधिक्षक सेलुलर कारावास और सेपरेट कारावास दो तरह के एकांत कारावास दे सकता है। दोनो में ही कैदी को अन्य कैदियों से बातचीत करने नहीं दिया जाता लेकिन कैदी उन्हें देख सकते हैं। पहले वाले में कैदी को अन्य कैदियों के साथ खाने का अवसर और व्यायाम के लिए एक घंटे का समय दिया जाता है जबकि दूसरे में उनके पास यह अधिकार भी नहीं होता।

2. क्या एकांत कारावास टार्चर है?

हां। कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर (केट) की परिभाषा के अनुसार सरकारी अधिकारी द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो व्यक्ति को मानसिक अथवा शारीरिक दर्द या पीड़ा दे वह टार्चर है। जेल अधिकारी एकांत कारावास को सजा के रूप में कैदी को दे सकते हैं। लेकिन अधिक समय के लिए कैदी को एकांत कारावास में रखना, संपर्क विहीन करना, चलने फिरने न देना, जेल की सुविधा एवं साधनों से वंचित रखना और एकांत कारावास में भेजने की शक्ति अमानवीय शक्तियां हैं। इस के जरिए जेल अधिकारियों को पास सुरक्षित कारावास में भेजे गए कैदियों पर वल प्रयोग करने की असीमित शक्ति मिल जाती है। यह कैदी को अमानवीय बनाता है तथा मानव के रूप में उसे मिलने वाले व्यवहार से उसे वंचित करता है।

3. एकांत कारावास का कैदियों पर क्या असर पड़ता है?

एकांत कारावास कैदियों की सामाजिक–मनोवैज्ञानिक 'हत्या' है। कैदियों पर इसका गंभीर, प्रतिकूल एवं अपरिवर्तनीय असर होता है। यह कैदी के अंदर मनोवैज्ञानिक असर डालता है जिसके परिणाम स्वरूप वे उकसावे के प्रति अति संवेदनशील हो जाते है, उन्हें मतिभ्रम हो जाता है, डर के दौरे पड़ते है, समझने की शक्ति कम हो जाती है, अति चिंतनशील हो जाते है और अन्य तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं।

4. क्या एकांत कारावास सुधार सेवा सिद्धांतों के साथ मेल खाता है?

नहीं। यह सुधार एवं जेल अनुशासन दोनों के लिए प्रतिकूल है। एकांत कारावास के बाद कैदी अधिक आक्रामक हो जाता है और वह हिंसक अपराध कर सकता है। साथ ही यह आधुनिक कारावास प्रणाली के सुधार की मान्यताओं के खिलाफ है। जेल स्टाफ की क्षमता में विकास करना चाहिए जो कैदियों के शरीरिक एवं मानसिक शुचिता का सम्मान करने वाले सुधार मॉडल से मेल खाते हों।

1920 की आल इंडिया जेल कमिटी ने कारावास प्रशासन का उद्देश्य कैदियों का सुधार और उनका पुनर्वास माना था। लगभग एक सदी बीत जाने के बावजूद एकांत कारावास का न्याय पुस्तकों में बने रहना सुधार एवं उद्धार के मूलभूत विचार के साथ साथ प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी खिलाफ है। कन्वेंशन अगेंस्ट टार्चर (केट) के अस्तित्व में आने के बाद से अमानवीय, क्रूर, अपमानित करने वाला व्यवहार अथवा सजा और टार्चर पर पूरी तरह से रोक को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत की मान्यता है। अतः एकांत कारावास को जारी रख कर भारत केट के सिद्धांत एवं पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है।

5. सरकार इस संबंध में क्या कर रही है?

काराग्रेह कानून 1894 को संशोधन करने संबंधि बिल प्रक्रिया में है। कैदियों को दण्ड स्वरूप एकांत कारावास देने के अधिकार को संबोधित किया जाना चाहिए तथा इसे अस्वीकार्य माना जाना चाहिए और कारागार नियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के कानूनों में आवश्यक बदलाव की सीफारिश को लागू किया जाना चाहिए।

आप क्या कर सकते हैं

एकांत कारावास को कहिए न

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं न्यायिक आयोग को पत्र लिख कर एकांत कारावास को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं, कारावास कानून एवं कारागार नियम से हटाने का आग्रह कीजिए।

धन्यवाद

सना दास
संयोजक, कारावास सुधार कार्यक्रम जेल खबरें

जेल खबरें

Life on the inside: how solitary confinement affects mental health

Gina McKeon, *ABC News*
Animation by Lucy Fahey

It's so dark that as soon as the door clicks shut, you can't see your hand in front of your face.

53 years of Indo-China war: Indian-Chinese prisoners recount horror behind barbed wires

Liu Chuen Chen, *India Today*

Four people of the last generation of survivors of the Chinese internment camp in Deoli, speak about what it was like to live behind the barbed wires in a country they called their own.

10,000 trials delayed this week

Live India

Many lawyers in Delhi have not seen court room this week is not due to public holidays but ongoing India-African summit.

Most courts wear a deserted look this week, as undertrials are not being brought to trial courts in the capital between October 21 and 30.

End Solitary Confinement

The Harvard Crimson

On October 16, students from the Harvard Undergraduate Organization for Prison Education and Reform held a vigil in the Science Center Plaza to protest juvenile solitary confinement in the United States.

Lack of psychiatrists bedevils mentally ill prisoners

The Economic Times (PTI)

Lack of psychiatrists in Bengal prisons is taking a toll on the mental health of 400 odd mentally ill prisoners lodged in various prisons across the state, according to jail officials.

HC asks Centre to file affidavit on prisoners

Daily Post

Punjab and Haryana High Court on Tuesday issued notice to Union of India with direction to come out with an affidavit on the issue of repatriation of foreign prisoners lodged in transit camp in Punjab Jail even after completing their sentence.

Maharashtra jails to transform, so that inmates reform

Nazia Alvi Rahman, *DNA*

Soon, a jail in Maharashtra will be called a Sudhargrah (correction centre) instead of a Karahgrah (jail). According to the authorities, a change in the name will have a positive impact on the inmates and may push them towards reformation.

‘Little Guantanamos’: Super-secret US prison units axe communications for inmates

Alex Jones' Prison Planet (RT)

An investigative journalist is speaking out about the Bureau of Prisons’ use of Communication Management Units to house political and religious prisoners, primarily Muslims.

Once inside, inmates have restricted rights to visits, phone calls, and letters.

Solitary Confinement: The Beginning of the End?

David Cole, *The New York Review of Books*

George Ruiz, a seventy-two-year-old inmate in California, has spent the last thirty-one years in solitary confinement, most of it in Pelican Bay State Prison. He has been held in a windowless cell, with virtually no human contact and no phone calls absent an emergency. He is let out for, at most, sixty to ninety minutes each day, during which periods he is kept in complete isolation.

‘जेल मेल’ के बारे में

सी.एच.आर.आई. की ‘जेल मेल’ जेल सुधार से सम्बंधित मुद्दों की एक श्रंखला है। यह उन पाठकों के लिए समय समय पर लायी जायेगी जो कैदियों के अधिकारों और जेल सुधार विषय में दिलचस्पी रखते हैं। जेल, जो की पारंपरिक रूप से एक अपारदर्शी संस्था है, जिसे पारदर्शी बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सिविल सोसाइटी इसके प्रबंधन और निगरानी में शामिल हो जिससे कैदियों के अधिकारों को व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित किया जा सके। ‘जेल मेल’ सिविल सोसाइटी और जेलों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों को संवाद के लिए आमंत्रित करता है।

‘जेल मेल’ में सी.एच.आर.आई. के जेल सुधार कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित शोध एवं अन्य रिपोर्ट, संबंधित पक्षों के साक्षत्कार, कैदियों के कल्याण से संबंधित मामलो एवं भारत और विश्व में जेलों की स्थिति पर लेखों का प्रकाशन किया जाएगा। मामलों की गंभीरता और पाठकों की दिलचस्पी के हिसाब से ‘जेल मेल’ के प्रकाशन की आवृति होगी।

सी.एच.आर.आई. और जेल सुधार कार्यक्रम के बारे में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों को व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित करना है। सी.एच.आर.आई. का गठन 1987 में राष्ट्रमंडल संस्थाओं द्वारा किया गया था। वर्ष 1993 से इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है तथा इसके कार्यालय अकरा, घाना और लंदन में हैं।

सी.एच.आर.आई. जेल सुधार पर पंद्रह वर्ष से काम कर रहा है। जेल सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर विचाराधीन समीक्षा समितियां और जेल पर्यवेक्षक व्यवस्था को मजबूत करना है। साथ ही, खासतौर से राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इनका उद्देश्य है कि सुनवाई पूर्व निरोध अनावश्यक न हो। यह कार्यक्रम विदेशी कैदियों के समयपूर्वक पर्यावर्तन की हिमायत एवं शरणार्थियों के कारावास का विरोध करता है।

कार्यक्रम की नियमित गतिविधिया इस प्रकार हैं : तथ्य आधारित शोध तथा उसका पक्ष समर्थन, नीतिगत वकालत एवं न्याय प्रणाली से जुड़े कार्यकर्ता, जैसे की जेल अधिकारी, कल्याण और परिवीक्षा अधिकारी, फौजदारी वकील, मजिस्ट्रेट, विधिक सहायता अधिकारी और सिविल सोसाइटी कार्यकर्ता, का कौशल विकास।

संपर्क करें
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस इनिशिएटिव
जेल सधार कार्यक्रम
55 ए, तीसरी मंज़िल सिदधार्थ चैम्बर्स- 1
कालू सराय, नई दिल्ली 110016
भारत
दूरभाष : +91 11 43180200
फैक्स : +91 11 43180217
chriprisonsprog@gmail.com
www.humanrightsinitiative.org